17-9-24

Notified

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नसीर अहमद हाजिर। प्रार्थिया द्वारा मूल वाद में राजीनामा पेश कर मूल वाद को खारिज करवा लिया है। मूल वाद के खारिज किये जाने पर प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थिया द्वारा 'नोट प्रेस' करने बाबत् नोटेड भी किया गया है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

17/09/24

उपखण्ड अधिकारी, सीकर